24.1.15
प्रावा 6 मुला

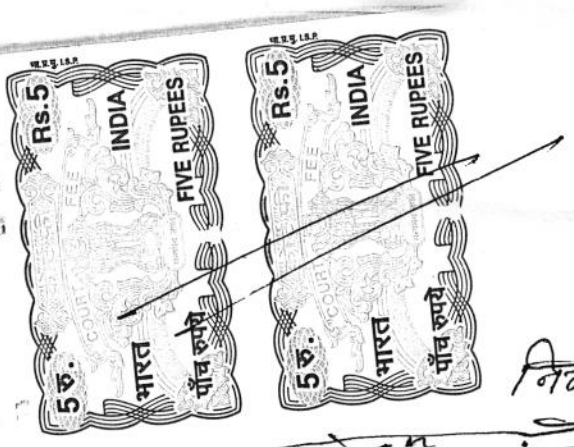

208
24.1.15

निगरानी 318-I-15

समक्ष माननीय आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर
निगरानी प्रकरण क्रमांक /2015
न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षणकर्ता 07/14.15 .... नथुआ पुत्र श्री भज्जू जाति गडरिया, निवासी– ग्राम ननवाहा तहसील व जिला दतिया (म.प्र.)

बनाम

अनावेदक........................
(1) बेताल सिंह पुत्र हल्कू आदिवासी, निवासी ग्राम ननवाहा तहसील व जिला दतिया (म.प्र.)
(II) मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर

24/1/15
Time – 13:35
Amit Sharma

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 318–एक/15 जिला – दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.04.15	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी एवं अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी । उभयपक्षों को स्थगन के बिंदु पर सुना गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय में निगरानी के लंबित रहते अनावेदक द्वारा भूमि का विकय कर दिया गया है और केता द्वारा नामांतरण की कार्यवाही की जा रही है । यदि नामांतरण कर दिया गया था नया विवाद पैदा होगा । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि विवादित स्थल पर उनका मकान बना हुआ है, अपर आयुक्त के आदेश की आड़ में उसे बेदखल किए जाने का प्रयास किया जा रहा है । उक्त आधार पर उनके द्वारा स्थगन दिए जाने का अनुरोध किया । अनावेदक अधिवक्ता द्वारा आवेदक के तर्कों का विरोध करते हुए स्थगन न दिये जाने का अनुरोध किया गया । 3– उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया विचारोपरांत न्यायहित में आगामी तीन माह तक यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिए जाते हैं । प्रकरण में पूर्ववत अभिलेख बुलाया जायें । 4– पेशी दिनांक 14–7–15. प्रशा0 सदस्य	

1.2 यह कि अविवादित है कि वर्ष 1982 में हुये बन्दोवस्त के दौरान कायम हुये नये सर्वे नम्बर में दोनो ही पक्षकारों को सुने बिना दोनों का बटवारा दर्शाते

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07–7–15	उभयपक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया । आवेदक अपने अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी सहित उपस्थित । अनावेदक क्रं. 1 अपने अधिवक्ता श्री सी.एम. श्रीवास्तव सहित उपस्थित । अनावेदक क्र. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री डी.के. शुक्ला उप. । 2/ आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 के अधिवक्ता द्वारा राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया और राजीनामा के आधार पर अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त करने तथा विचारण न्यायालय एवं एस.डी.ओ. के आदेश को यथावत रखने का निवेदन किया । उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकरण में शासन फॉर्मल पक्षकार है विवाद केवल आवेदक एवं अनावेदक क्र. 1 के मध्य है । शासकीय अधिवक्ता द्वारा राजीनामा आवेदन पर कोई आपत्ति न होना व्यक्त किया गया । दर्शित परिस्थिति में विचारोपरांत आवेदक एवं अनावेदक क्र. 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर का आलोच्य आदेश अपास्त करते हुए राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है । राजीनामा इस आदेश का अंग रहेगा । यह प्रकरण समाप्त किया जाता है दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	